(1)

4/6073/94

उत्तर प्रदेश सरकार
पंचायती राज अनुभाग-1
संख्या: 5517 /33-1-94-116/92
लखनऊ: दिनांक 10 नवम्बर, 1994

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) सेवा नियमावली, 1989 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ।

उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 1994

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 1994 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 4 का प्रतिस्थापन — 2. उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) सेवा नियमावली, 1989 के, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ-1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
सेवा का संवर्ग	4-(1) सेवा की सदस्य संख्या ऐसी होगी जैसी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन कोई परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या	4-(1) सेवा की सदस्य संख्या ऐसी होगी जैसी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय । (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गई है :-

11/11/94

क्रम सं0	पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	योग
1	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा)	943	10	953

परन्तु--

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

परन्तु--

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

नियम 5 का प्रतिस्थापन — उक्त नियमावली के, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

(वर्तमान नियम)

भर्ती का स्रोत — 5- सेवा में भर्ती, यथा सम्भव, निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी-

(एक) कुल रिक्तियों का पचास प्रतिशत ग्राम पंचायत अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा,

(दो) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

स्तम्भ-2

(एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

5- सेवा में किसी पद पर भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों में से, पदोन्नति द्वारा की जायगी।

4. उक्त नियमावली का नियम 15 निकाल दिया जायगा ।

5. उक्त नियमावली के, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 16 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
16- पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायगी ।	16-(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित की जाने वाली चयन समिति के माध्यम से की जायगी । (2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची या सूचियाँ उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा । (3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है । (4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो,

जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

नियम 17 का निकाला जाना

6. उक्त नियमावली का नियम 17 निकाल दिया जायगा ।

आज्ञा से,

डा0 यशपाल सिंह,
सचिव ।